

अनुलग्नक-1.1

(पैराग्राफ 1.10 देखें, पृष्ठ 6)

31 मार्च 2013 को स्वायत्त निकायों के लेखों की स्थिति दिखाने वाला विवरण

क्र. सं.	निकाय का नाम	कार्य सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखे बनाए गए	लेखों की प्रस्तुति में विलंब (महीनों में)	जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है	विधान मण्डल में प.ले.प.प्र.को रखना	पू.ले.प.प्र. की प्रस्तुति में विलंब (वर्षों में)
1.	जी.जी.एस.आई.पी.यू.	लेखापरीक्षा के लिए प्रदत्त जीजीआईपीयू अधिनियम 1998	2010-11	6 महीने	2010-11	रखा जाना है	2 वर्ष
2.	जी.जी.एस.आई.पी.यू.		2009-10	24 महीने	2009-10	रखा जाना है	3 वर्ष
3.	जी.जी.एस.आई.पी.यू.		2011-12	3 महीने	2011-12	रखा जाना है	1 वर्ष
4.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेकनॉलोजी	कार्य को औपचारिक रूप से सौंपना प्राप्त नहीं हुआ	-	-	-	-	-
4.	दिल्ली अर्बन शैल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी)	-वही-	-	-	-	-	-
5.	अंबेडकर यूनिवर्सिटी	-वही-	-	-	-	-	-
6.	एन.एस.आई.टी.	2007-08 से पॉंच वर्ष	2005-06	53 महीने	2005-06	रखा जाना है	2 वर्ष
7.	एन.एस.आई.टी.		2006-07	41 महीने	2006-07	रखा जाना है	2 वर्ष
8.	एन.एस.आई.टी.		2007-08	51 महीने	2007-08	रखा जाना है	2 वर्ष
9.	एन.एस.आई.टी.		2008-09	43 महीने	2008-09	रखा जाना है	1 वर्ष
10.	एन.एस.आई.टी.		2009-10	प्रतीक्षित	-	-	-
11.	एन.एस.आई.टी.		2010-11	प्रतीक्षित	-	-	-
12.	एन.एस.आई.टी.		2011-12	प्रतीक्षित	-	-	-
13.	दिल्ली जल बोर्ड	माना गया कि कार्य को दि. ज.बो. अधिनियम 1998 के अनुसार सौंपा गया	2001-02	100 महीने	2001-02	रखा जाना है	5 वर्ष
14.	दिल्ली जल बोर्ड		2002-03	78 महीने	2002-03	रखा जाना है	4 वर्ष
15.	दिल्ली जल बोर्ड		2003-04	60 महीने	2003-04	रखा जाना है	3 वर्ष
16.	दिल्ली जल बोर्ड		2004-05	63 महीने	2004-05	रखा जाना है	1 एवं 1/2 वर्ष
17.	दिल्ली जल बोर्ड		2005-06	50 महीने	2005-06	रखा जाना है	1 एवं 1/4 वर्ष
18.	दिल्ली जल बोर्ड		2006-07	58 महीने	2006-07	रखा जाना है	1 वर्ष
19.	दिल्ली जल बोर्ड		2007-08	प्रतीक्षित	-	-	-
20.	दिल्ली जल बोर्ड		2008-09	प्रतीक्षित	-	-	-
21.	दिल्ली जल बोर्ड		2009-10	प्रतीक्षित	-	-	-
22.	दिल्ली जल बोर्ड		2010-11	प्रतीक्षित	-	-	-


31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	कार्य सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखे बनाए गए	लेखों की प्रस्तुति में विलंब (महीनों में)	जिस अवधि तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया है	विधान मण्डल में पृ. ले.प.प्र.को रखना	पृ.ले.प.प्र. की प्रस्तुति में विलंब (वर्षों में)
23	दिल्ली जल बोर्ड		2011-12	प्रतीक्षित	-	-	-
24	दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वैल्फेयर बोर्ड (डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी)	माना गया कि कार्य को डीबीसीडब्ल्यू	2002-03	119 महीने	2002-03	-	--
25	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी	डब्ल्यू वी अधिनियम 1996 के अनुसार सौंपा	2003-04	107 महीने	2003-04	-	-
26	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2004-05	95 महीने	2004-05	-	-
27	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2005-06*	83 महीने	-	-	-
28	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2006-07*	71 महीने	-	-	--
29	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2007-08*	59 महीने	-	-	-
30	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2008-09*	47 महीने	-	-	-
31	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2009-10*	36 महीने	-	-	-
32	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2010-11	प्रतीक्षित	-	-	--
33	डीबीसीडब्ल्यूडब्ल्यूवी		2011-12	प्रतीक्षित	-	-	-
35	दिल्ली इलेक्ट्रीसिटी रैगुलेरिटी कमीशन	धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई	2012-13	-	2012-13	रखा जाना है	-
36	दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी	माना गया कि कार्य को एलएसए अधिनियम 1987 के अनुसार सौंपा गया	2012-13*	-	-	-	-

*कार्य प्रगति पर

अनुलग्नक-2.1
(पैराग्राफ 2.1.1.1 देखें, पृष्ठ 10)

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का संगठन चार्ट



अनुलग्नक-2.2
(पैराग्राफ 2.2.2.1 देखें, पृष्ठ 27)
अनावश्यक प्रावधान

वर्ष	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	नामांकन	मूल बजट	पुनःविनियोजन	कुल	व्यय	कुल बचत
2008-09	2203	बी 1(5)(7)	संस्थानों में उत्पादन-सह-प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रारंभ करना	0.80	0.80		-	
	-वही-	बी 1(5)(8)	सभी संस्थाओं में नेटवर्किंग	0.50	0.50		-	
	-वही-	बी 1(5)(9)	सीखने में प्रयुक्त सामग्री का विकास	0.20	0.10	0.10	-	0.10
	-वही-	बी 1(5)(13)	दिल्ली ज्ञान हॅब का विकास	1.00	1.00		-	
	-वही-	बी 1(5)(14)	प्रसिद्ध संस्थाओं में उच्च अध्यापक	0.40	0.40	-	-	
	-वही-	बी 1(6)(3)	इडीयूपसएटी नेटवर्किंग	0.40	0.40	-	-	
	-वही-	बी 1(6)(4)	आईटीआई की स्थापना	1.10	1.10		-	
	-वही-	बी 1(6)(7)	तकनीकी शिक्षा निधि	0.10	0.10	-	-	
	-वही-	1(6)(8)	प्रसिद्ध संस्थाओं के साथ सहयोगी व्यवस्था का विकास	0.10	0.10	-	-	
	2230	बी 1 (2)(5)	सरकारी आईटीआई (सीसीएस) में प्रशिक्षण और व्याख्यान का स्तर उठाना	0.13	0.03	0.10	-	0.10
2009-10	2203	बी 1(5)(8)	सभी संस्थाओं में नेटवर्किंग	0.50	0.50		-	
	-वही-	बी 1(5)(9)	सीखने में प्रयुक्त सामग्री का विकास	0.10	0.10		-	
	-वही-	बी 1(5)(16)	दिल्ली ज्ञान विकास संस्थान का विकास	1.00	1.00		-	
	-वही-	बी 1(6)(4)	विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना	0.30	0.30		-	
	कुल			6.63	6.43	0.20		0.20

अनुलग्नक- 2.3.1
(पैराग्राफ 2.3.5.9 देखें; पृष्ठ 56)
डबल टैक कोट उपलब्ध कराने पर व्यय

क्र.सं./ करार सं.	कार्य का नाम	अनुमानित संख्या	अधिक संख्या (टैक कोट)	दर	परिहार्य व्यय (₹ में)
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-111					
1/75	नजफगढ़ रोड (राजा गार्डन से सुभाष नगर चौक), नई दिल्ली का सुदृ.	166600	105467	6.50	685536
2/76	ऊपरी रिज रोड (वंदे मातरम मार्ग) (धौला कुआं फ्लाईओवर से सीमोन बोलीवर मार्ग टी-प्लाइट 1.5 किमी) तथा शंकर रोड चौक से दयाल (1.5) नई दिल्ली का सुदृ (वाऊचर संसं. 211/मार्च 2013)	180042	72520	6.03	437296
3/78	गुरु रवि दास मार्ग (न्यू रोहतक रोड़ से पूसा रोड़) तथा मिलिट्री रोड़ (डीबी गुप्ता रोड़ से न्यू रोहतक रोड़), करोल बाग, नई दिल्ली, का सुदृ.	115830	66000	6.5	429000
4/80	राजौरी गार्डन की आंतरिक सड़कों जैसे मेजर सुदेश मार्ग (नजफगढ़ रोड से रिंग रोड) व मेजर सुदेश गडोक मार्ग (नजफगढ़ रोड से जे-ब्लाक राजौरी गार्डन), नई दिल्ली का सुदृ.	111738	55869	6.50	363149
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-113					
5/94	आर.के.पुरम, नई दिल्ली में मेजर सोम नाथ मार्ग तथा तनिल संगम मार्ग का सुदृ.	137960	80600	9.55	769730
6/104	वसंत कुंज क्षेत्र की आंतरिक सड़कों जैसे अरुणा आसफ अली रोड के डी.ए. स्कूल से दिल्ली जल बोर्ड ट्यूब वेल (2) महरोली महिपालपुर रोड के बी-1 टेलीफोन एक्सचेंज से बी-5 तथा बी-6 रोड (3) शिव मंदिर के बी-2 तथा बी-3 रोड से बी-5 तथा बी-6 रोड (4) एम.एम.रोड के डी-1 व डी-2 रोड से आई.एल.बी. एस. अस्पताल (5) आई.एल.बी.एस. के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से एम. एम. रोड (6) एम.एम. रोड के वाटिका रोड से डी.पी.एस. स्कूल का सुदृ.	126750	67575	9.55	645341
7/95	ग्रीन पार्क, हौज़ खास व कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र की आंतरिक सड़कों जैसे (1) नरेन्द्र कुमार पांडे मार्ग, (2) कुतुब औद्योगिक क्षेत्र के सी एवं बी ब्लॉक की परिधीय सड़क तथा अन्य रोड का बाह्य रोड का सुदृ.	109190	54595	9.55	521382
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-142					
8/02	नजफगढ़ डासना रोड से घुरेला बोर्डर, नई दिल्ली की रोड का सुदृ.	356460	237640	9.55	2269462
9/1	नजफगढ़ झरोदा रोड से बहादुरगढ़ बोर्डर, नई दिल्ली का सुदृ.	264600	176400	9.55	1684620
10/3	नजफगढ़ फिरनी रोड, नई दिल्ली का सुदृ.	89100	59400	9.55	567270
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-313					
11/45	माल रोड एक्सटेंशन में कैरिजवे का सुधा., उप.शी: मुख्य रास्ते का सुदृ. व पुनः सतहीकरण और सीमेंट कंक्रीट सेवा रोड व पटरी इत्यादि का निर्माण	206787	100320	9.55	958056
12/48	बख्तावरपुर पाल का सुधा. व सुदृ. उप.शी: सड़क कार्य	48000	24000	9.08	217920
13/55	माल रोड से पी.एस तिमरपुर के लखनऊ रोड के रास्ते, पटरी, नालियों का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा.	47600	23800	9.08	216104
14/60	किम्सवे कैंप से रोड सं. 50 के बुरारी रोड का सुधा. उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा.	105000	52500	9.08	476700

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं./ करार सं.	कार्य का नाम	अनुमागित संख्या	अधिक संख्या (टैक कोट)	दर	परिहार्य व्यय (₹ में)
15/59	शाह आलम बॉध रोड जी.टी.रोड से रोड सं. 51 के रास्ते का सुधा. व निर्माण, उप.शी: रास्ते केन्द्रीय किनारे, पटरी व एस.डब्ल्यू. नाली का सुधा. व निर्माण	क) 51800 ख) 103600	क) 25900 ख) 51800	क) 13.79 ख) 9.08	357161 470344
16/61	तिवेटिया मार्ग लाइट से प्रेरणा चौक के गुलाब सिंह मार्ग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा.	100800	50400	9.08	457632
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-312					
17/63	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-3 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा.	42948	19522	9.08	177260
18/50	रोहिणी दिल्ली के सैक्टर-6 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा.	28800	12912	9.08	117241
19/58	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-6 की रोड पर पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा लगाना और स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी का सुधा.	20600	9322.5	9.08	84648
20/74	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-11 की रोड पर पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुदृ. व सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	68975	35760	9.08	324701
21/56	सर छोदू राम मार्ग रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-2 में (अवंतिका चौक से कंझावला रोड का रोड सं. ए-2 तथा जयपुर गोल्डन अस्पताल होकर जाने वाली रोड से जुड़ने वाली रोड सं.ए-1 से ए-42) की पटरी का सुदृ. व सुधा. और रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	34456	7128	9.08	64722
22/72	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-14 में पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	76430	32044	9.08	290960
23/51	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर ए-1 में से एफ-3 को जाने वाली रोड तथा सैक्टर-2 व 4 में टैक रोड से होकर जाने वाली रोड पर रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा पटरी का सुदृ. व सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	56250	25130	9.08	228180
24/62	रोहिणी, दिल्ली के सैक्टर-14 में पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	22200	9880	9.08	89710
25/54	मंगोलपुरी, दिल्ली के बी-ब्लॉक रोड में पटरी का सुधा. व सुदृ. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना तथा कालीमंदिर रोड (एल.पी.रोड 9, टैक रोड) की स्ट्रीट लाईटिंग का सुधा., उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	120520	54400	9.55	519520
26/68	पुलिस लाइन, अमर बिस्मिल मार्ग तथा फिरनी रोड, दिल्ली की पटरी का सुदृ. व सुधा. तथा रिटरो रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना तथा लगाना, उप.शी: रोड का सुदृ. व पटरी का सुधा.	42948.40	19522	9.08	177260
			कुल		13600905

अनुलग्नक- 2.3.2
(पैराग्राफ 2.3.5.13 को देखें, पृष्ठ 58)
उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति के लिए न रोकी गई राशि

क्र.सं.	करार सं.	कार्य का नाम	टी.सी.	एस.डी.ओ.एस./ एस.डी.ओ.सी./ ए.डी.ओ.सी.	उद्देश्य जो प्राप्त नहीं हुए	रोकी जाने वाली राशि	रोकी गई राशि	रोकी गई राशि का अंतर
सिविल रोड अनुरक्षण डिविजन एम-3								
1	60/12-13	रोहिणी सैक्टर 13 के साथ लगे 15 व 19 की अंतः संबंधित सड़कों में सिगनेज कार्य का सुदृ. व स्ट्रीट लाइट का सुधार, उप. शी: सड़क का सुदृ.	26009406	20.12.12/ 19.3.13	4	1040376	शून्य	1040376
2	12/12-13	नेताजी सुभाष प्लेस (पीतमपुरा) दिल्ली के सड़क सं. 41 को पार करने वाले पदयात्रियों के लिए सीढ़ी व लिफ्टों के साथ फुटओवर ब्रिज का निर्माण, उप.शी: सिविल कार्य	44113513	30.5.12/ 28.11.12	4	1764541	शून्य	1764541
3	6/12-13	विभिन्न सड़कों का ए/आर तथा एम/ओ उप.शी: गड्डों की मरम्मत	13359831	3.5.12/ 2.7.12	4	534393	शून्य	534393
4	61/12-13	रोहिणी सैक्टर-17 के साथ परस्पर जुड़ी सड़कों में निकासी प्रणाली, सिगनेज कार्य का सुदृ. व सुधा. तथा स्ट्रीट लाइट के स्तर में वृद्धि, उप.शी: रोड का सुदृ. व निकास प्रणाली का सुधा.	28387888	20.12.12/ 19.3.13	4	1135516	शून्य	1135516
5	72/12-13	अलीपुर से होलंबी क्रॉसिंग (शाहपुर गढ़ी मोड़), नरेला अलीपुर रोड में पटरी व नाली का सुदृ. सुधार, रिटरों रिफ्लैक्टिव रोड सिगनेजिस उपलब्ध कराना व लगाना होर्टिकल्चर अनुरक्षण कार्य तथा स्ट्रीट लाईटिंग का सुधार, उप.शी: रोड का सुदृ. तथा पटरी व नाली का सुधा.	58860614	8.2.13/ 6.8.13	4	2354425	शून्य	2354425
6	57/09-10	(I) ब्रिटैनिया चौक के पास (II) मोती नगर 'डी' प्वाइंट के पास रिंग रोड के साथ पदयात्रियों के लिए सीढ़ी तथा लिफ्ट के साथ फुटओवर ब्रिज का निर्माण	33976135	2.2.10/ 26.8.10	4	1359045	शून्य	1359045
							कुल	8188296

अनुलग्नक 2.4.1
(पैराग्राफ 2.4.1.1 को देखें, पृष्ठ 64)
निकास प्रणाली के प्रबंधन में भूमिका एवं उत्तरदायित्व

क्र.सं.	एजेन्सी	कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व
1.	सि.बा.नि.वि.	1000 क्यूसेक से अधिक उत्सर्जन क्षमता वाले मुख्य नालों एवं कुछ छोटे नालों को सम्मोषित करता है। कुल मिलाकर वह 400 कि.मी. की लम्बाई वाले 61 स्टार्म नालों को भी प्रबन्धित करता है।
2.	दि.न.नि.	मई 2012 में त्रिशाखा हुई, दि.न.नि. 480 नालों (चौड़ाई या गहराई 4 फीट और ऊपर वाले) एवं 2530 नालों (चौड़ाई या गहराई 4 फीट से कम वाले), उसके अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत, को सम्मोषित करता है।
3.	लो.नि.वि.	लो.नि.वि. 60 फीट और ऊपर की चौड़ाई वाली सड़कों के साथ, 1250 कि.मी. की कुल लम्बाई तक चलने वाले नालों को सम्मोषित करता है।
4.	न.दि.न.नि.	न.दि.न.नि. अपने अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 43 वर्ग कि.मी. में 14 निकास प्रणालियों को सम्मोषित करने के लिए उत्तरदायी है।
5.	दि.ज.बो.	दि.ज.बो. दि.न.नि. के अधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपजल एवं सीवेज के निस्तारण और अभिक्रिया को प्रबन्धित करता है। उसके पास 7000 कि.मी. की सीवर लाईनों का तंत्र है जिसके साथ 196 कि.मी. की ट्रंक सीवर एवं लगभग 1508 कि.मी. का परिधीय तंत्र है।

अनुलग्नक 2.4.2
(पैराग्राफ 2.4.4.1 (i) को देखें; पृष्ठ 68)
मानसून प्रारंभ होने के पहले कार्यों के पूरा होने में देरी

क्र.सं.	कार्य का नाम	सौंपे जाने की तिथि	पूरा होने की तिथि
2010 का मानसून			
1	कार्यक्षेत्र की स्थिति के अनुसार सविदा आधार पर मजदूरों को लगाकर निकास नाला के आर डी 2560 मी. से आर डी 2770 मी. की गाद निकालने का कार्य	08.04.2010	13.12.2010
2	ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 6690 मी. से आर डी 7970 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना	21.05.2010	27.02.2011
3	ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 9370 मी. से आर डी 10740 मी. के मध्य बहने वाले सामग्री को निकालना	21.05.2010	27.02.2011
4	ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 12230 मी. से आर डी 10740 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना	21.05.2010	27.02.2011
5	ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 13387 मी. से आर डी 12230 मी. के मध्य बहने वाली सामग्री को निकालना	22.05.2010	28.02.2011
6	बुराड़ी नाला तल के आर डी 2280 मी. से आर डी 6038 मी. के अवरोध को निकालना	06.03.2010	06.11.2010
2011 का मानसून			
7	कार्य क्षेत्र की स्थिति के अनुसार सविदा पर मजदूरों तथा जे सी बी. मशीन को लगाकर बंद नाला के आर डी 0 मी. से आर डी 800 मी. की गाद निकालना	09.02.2011	24.01.2012
8	निकास नाला सं. 1 के आर डी 345 मी. से आर डी 2560 मी. की गाद निकालने का कार्य	14.02.2011	24.11.2011
9	ट्रंक नाला सं. 1 के आर डी 6690 मी. से आर डी 7970 मी.	15.03.2011	20.12.2011
10	ट्रंक नाला सं. के आर डी 10330 मी. से आर डी 7970 मी. की (डी/एस आट्रियल हाइवे ब्रिज से पार्सिप लाइन ब्रिज) बहने वाली सामग्री को निकालने का कार्य	21.03.2011	31.12.2011
11	ट्रंक नाला सं. 1 के लाइन सेक्शन में आर डी 6350 मी. से आर डी 6690 मी. के मध्य इसकी डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छः माह की अवधि के लिये अनुरक्षण करना	13.05.2011	12.02.2012
12	ट्रंक नाला सं. 1 के आर/एस चैनल के आर डी 5800 मी. से आर डी 6250 मी. इसके डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छः माह की अवधि के लिए अनुरक्षण करना	25.05.2011	24.02.2012
13	ट्रंक नाला सं. 1 के आ/एस चैनल के आर डी 5260 मी. से आर डी 5800 मी. इसके डिजाइन सेक्शन तक गाद निकालना तथा छः माह की अवधि तक अनुरक्षण करना।	26.05.2011	25.02.2012
14	एल एफ बंद स्टोर के जलाशय से अवरोधन/बहने वाली सामग्री को निकालना साथ ही निकाले गए अवरोधन/बहने वाली सामग्री को गाड़ना तथा जलाशय की नौ माह की अवधि तक अनुरक्षण करना	30.06.2011	04.04.2012
15	एल एफ बंद नाले के आर डी 0 मी. से आर डी 900 मी. की वार्षिक सफाई/अनुरक्षण (नौ माह की अवधि के लिए)	30.06.2011	05.03.2012

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्य का नाम	सौंपे जाने की तिथि	पूरा होने की तिथि
16	निम्न स्तरीय रोड के साथ एल. एफ. बंद नाले की 254 दिन का अवधि के लिए आर डी 900 मी. से आर डी 3800 मी. के नाले की वार्षिक सफाई/अनुरक्षण	25.07.2011	10.11.2012
17	बुराडी क्रीक नाला तक की आर डी 6900 मी. से आर डी 8863 मी. के मध्य अवरोध हटाना	27.04.2011	15.07.2011
18	नाला सं. 6 के आर डी 0 मी. से आर डी 14725 मी. के मध्य तल से अवरोध जैसे पुराना टूटा हुआ बड़ा पेड़, पटेरा, अस्वास्थ्यकर निक्षेप, झाड़ियाँ इत्यादि हटाना	08.07.2011	22.07.2011
2012 का मानसून			
19	टी डी सं. 1 के आर डी 8600 मी. से आर डी 8950 मी. तक इसके डिजाइन सेक्शन (दाया मांग केवल) की गाद निकालने का कार्य	10.04.2012	14.07.2012
20	टी डी सं. 1 के आर डी 7600 मी. से आर डी 7970 मी तक इसके डिजाइन सेक्शन (दाया भाग केवल) की गाद निकालने का कार्य	17.04.2012	18.07.2012
21	टी डी सं. 1 से आर डी 7200 मी. से आर डी 7600 मी. तक उनके डिजाइन किए गए सेक्शन से डि-सिल्टिंग (केवल दायाँ ओर से)	26.05.2012	21.08.2012
22	टी डी सं. 1 में डी/डब्ल्यू आर डी 6690 मी. से आर डी 5260 मी. पटरी से एकत्रित किए गए कूड़ा करकट मलबा को डाला जाना तथा बहिःस्त्राव नाले से कचरा बहाया जाना तथा छः महीनों की अवधि के लिए उसके नालियों का अनुरक्षण	19.06.2012	24.02.2013
23	वर्तमान में आर डी बाउण्ड्री वॉल की मरम्मत तथा आर डी 10330 मी. से आर डी 11270 मी. के मध्य टी डी न. 1 की आर./डब्ल्यू. के पास मलबा तथा कचरे का हटाया जाना	22.06.2012	26.08.2012
24	पटरियों से एकत्रित किए गए मलबा को हटाना तथा डी./डब्ल्यू. आर डी 6690 मी. से आर डी 8950 मी. तक में टी डी सं. 1 के बहिःस्त्राव नाले से कचरा बहाया जाना तथा छः महीनों की अवधि के लिए उसका अनुरक्षण	09.10.2012	13.04.2013
25	आर डी. 6900 मी. से आर डी 8863 मी. के मध्य बुराडी क्रीक ड्रेन के तल में एकत्रित कूड़े का हटाया जाना	29.05.2012	26.09.2012
26	आर डी 1800 मी. से आर डी 2100 मी. के मध्य नई ड्रेन के तल से वायी और के किनारे पर आर डी 4875 मी. से आर डी 5400 तथा दायाँ ओर के किनारे पर आर डी 1800 मी. से आर डी 2800 मी. और आर डी 4475 मी. से आर डी 4975 तक कचरे को हटाया जाना	08.06.2012	24.09.2012
2013 का मानसून			
27	पटरियों का निर्माण तथा आर डी 11300 मी. से आर डी 13387 मी. तक के मध्य टी. डी न. 1 के एकत्रित कचरे का हटाया जाना।	12.03.2013	16.07.2013

अनुलग्नक 2.4.3
(पैराग्राफ 2.4.4.1 (iii) को देखें; पृष्ठ 68)
लो.नि.वि. की नालियों के गाद हटाए जाने की गतिविधियों में विलंब

क्षेत्र	कमियाँ
एम-1	एम-1 क्षेत्र में सभी 24 पैकेजों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया । एम-113 डिविजन के अन्तर्गत में सात मामलों में (जहाँ सड़कें दि.न.वि. से ली गई थीं), गाद हटाने की स्थिति की रिपोर्ट 11 मई 2012 को लो.नि.वि. के प्रधान सचिव तथा ई-इन-सी को भेजी गई जिसमें यहाँ तक कि सड़कों तथा उनके रूटों के विवरण उल्लिखित नहीं थे जिनके लिए कार्य के सौंपे जाने को अंतिम रूप दिया जा रहा था । इसके अतिरिक्त नौ मामलों में निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था, जबकि गाद हटाने के लिए नियत अवधि पहले ही आधी से अधिक बीत चुकी थी ।
एम-2	एम-2 क्षेत्र की 22 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट में 25 सड़कों में से यहाँ तक कि एक भी सड़क के लिए गाद हटाए जाने के कार्य को पूरा करने की तिथि निर्धारित नहीं थी ।
एम-3	एम-3 क्षेत्र में 21 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सभी तीन डिविजनों को दि.न.वि. से ली गई सड़कों के किनारे स्थित नालियों से गाद हटाए जाने के लिए 24 मई 2012 को निविदाएं प्राप्त करनी थीं। लो.नि.वि. की सड़कों के संबंध में कोई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
एम-4	एम-4 क्षेत्र के अंतर्गत गाद हटाने के कार्यों के लिए 21 मई 2012 की स्थिति रिपोर्ट ने दर्शाया कि 14 में से चार मामलों में कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथि जून के दूसरे सप्ताह के दौरान थी। छः मामलों में निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाना था जबकि चार मामलों में कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि 18 तथा 25 अक्तूबर 2012 के बीच अर्थात् लगभग मानसून के वापस लौटने तक नियत की गई थी ।

अनुलग्नक 2.4.4

(पैराग्राफ 2.4.4.3 को देखें; पृष्ठ 71)

2013 के मानसून के दौरान प्रकट होने वाले नये अति संवेदनशील स्थान

दिनांक	स्थान
09.07.2013	नुककड फेज़ बाजार के से के.जी. अस्पताल तक, दिल्ली गेट से राजघाट अंसारो मोड़, रोशनारा 'टी' प्वाइंट मैट्रो पिलर, पुराना किला रोड से सी-हैक्सागॉन इंडिया गेट, शालीमार बाग अंडर पास, दिल्ली हॉट रोड सं. 41, फ्लाईओवर के पास नेताजी सुभाष प्लेस, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, राम चरण अग्रवाल चौक, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, पूर्वी बारापुला, आऊटर रिंग रोड, संसद विहार, मंगोल पुरी, जेल रोड, बादली, आऊटर रिंग रोड हैदरपुर, माता चौक के पास महीपालपुर से वसंत कुंज की ओर, महीपालपुर चौक, धौला कुआं लूप, रिंग रोड, बवाना चौक, प्रहलादपुर गॉव, बवाना, बरबाला गॉव, पूठ खुर्द गॉव, निगम बोध घाट 'यू' टर्न, बाबा खड़क सिंह मार्ग, सराय काले खां फ्लाईओवर के नीचे, मथुरा रोड, आली 'टी' प्वाइंट से खादर 'टी' प्वाइंट तक, रिंग रोड एन एच-24, लैंडिंग प्वाइंट के समीप एन एच-8, भगवान दास रोड-मथुरा रोड क्रॉसिंग, सिरी फोर्ट रोड, रिंग रोड, जन्माष्टनी पार्क के सामने पंजाबी बाग, सैक्टर 6-7 द्वारका।
20.07.2013	न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी लाल बत्ती, नं. 1 पार्क लेन, बी-3 फोर्टिस अस्पताल, नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली, अली गॉव, जामिया से सुखदेव नगर, होटल जनपथ, जामा मस्जिद, आर/ए तीन मूर्ति, साउथ एवेन्यू, आर/ए रेल भवन, सफदरजंग रोड, सत्य निकेतन गुरुद्वारा से मोती बाग चौक, के.एन. काटजू मार्ग, लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार, शास्त्री पार्क से गांधी नगर, पार्क स्ट्रीट, लक्ष्मी नारायण मंदिर मार्ग, मंदिर मार्ग कॉम्प्लेक्स, डाबरी से द्वारका-राजापुरी, कड़कड़डूमा मैट्रो मार्ग, अमन होटल के समीप लोधी रोड सीजीओ काम्प्लेक्स, एस्कोर्ट अस्पताल, पंजाबी बाग से माया पुरी, ईएसआई अस्पताल, गिरधारी लाल चौक, डाबरी से पालम फाटक, सराय काले खां से राजघाट, नजफगढ़ रोड से उत्तम नगर, तिलक नगर चौराहा, विष्णु दत्त मार्ग-नांगल राय, पंखा रोड पर सागर पुर बस स्टैंड, उत्तम नगर पूर्वी मैट्रो स्टेशन, मैट्रो पिलर सं. 720 से 730, ककरोला मोड़ बत्ती सिगनल।
22.07.2013	मंदिर मार्ग टी-प्वाइंट, पहाड़ गंज चौक, महारानी बाग रिंग रोड, नेहरू नगर बस स्टैंड, गुप्ता मार्किट
30.07.2013	आर/ए झंडेवालान, राजपुर रोड दि.न.नि. कार्यालय, ए-प्वाइंट, मोरी गेट, आयरन पुल, जी-ब्लॉक आऊटर सर्किल कर्नॉट प्लेस, भवभूति मार्ग, उच्च न्यायालय से डब्ल्यू प्वाइंट, शेर शाह सूरी रोड, मधुवन चौक से प्रीत विहार, सरिता विहार फ्लाईओवर
05.08.2013	एनएसजी के सामने पिलर सं. 308, मॉ आनंदमयी मार्ग कन्टेनर डिपो, सावित्री फ्लाईओवर, भारताई चौक, ब्रिटेनिया फ्लाईओवर

अनुलग्नक 2.4.5
(पैराग्राफ 2.4.4.4 को देखें; पृष्ठ 71)
कार्य प्रदान करने में देरी

क्रम सं.	डिविजन	कार्य का नाम	पाई गई त्रुटि की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूरा करने की तिथि	कार्य प्रदान करने में देरी
मनसून 2010						
1	पश्चिम III	जनकपुरी मेन लाइन में डी-सिल्टिंग में सुधार	07.04.2010	20.09.2010	24.10.2010	166 दिन
2	पश्चिम III	उत्तम नगर ट्रंक सीवर की डी-सिल्टिंग	06.05.2010	24.12.2010	21.03.2011	232 दिन
मनसून 2011						
3	पश्चिम III	ज्वालापुरी में सीवर प्रणाली में सुधार	04.06.2011	09.11.2012	10.03.2012	158 दिन
4	पश्चिम III	मेन हॉल की मरम्मत तथा डी-सिल्टिंग द्वारा सीवर सिस्टम में सुधार	08.06.2011	30.07.2011	07.09.2011	52 दिन
5	उ.पू. III	शास्त्री पार्क में सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग	12.06.2011	09.11.2011	03.01.2012	150 दिन
मनसून 2012						
6	उ.पू. III	सीलमपुर में सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग	04.11.2011	27.04.2012	30.09.2012	175 दिन
7	पूर्व II	अनार कली में सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग	23.03.2012	06.06.2012	01.10.2012	75 दिन
8	पूर्व II	वार्ड सं. 229 में सीवर लाइन का सुधार	18.04.2012	18.03.2013	23.04.2013	335 दिन
9	उत्तर I	मल्का गंज में सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग	06.06.2012	25.07.2012	21.08.2012	49 दिन
10	उत्तर I	जी.टी. रोड़ में सीवर की डी-सिल्टिंग	08.06.2012	23.08.2012	11.10.2012	76 दिन
11	उत्तर I	वार्ड सं. 12 में अवरोधन हटाना	12.06.2012	17.08.2012	30.08.2012	66 दिन
12	उ.पू. III	गली नं. 1-30 में सीवर लाइन में सुधार	26.06.2012	25.08.2012	22.03.2013	60 दिन
13	पूर्व II	विवेक विहार में सीवर सिस्टम का सुधार	29.06.2012	21.09.2012	22.11.2012	84 दिन
14	पूर्व II	ए.सी. 69 हंस अपार्टमेंट में सीवर सिस्टम में सुधार	03.07.2012	08.10.2012	22.11.2012	97 दिन
15	पूर्व II	ए.सी. 62 में सीवर सिस्टम में सुधार	01.08.2012	01.10.2012	23.03.2013	61 दिन

अनुलग्नक 2.4.6
(पैराग्राफ 2.4.5 (क) देखें; पृष्ठ 73)
स्थान जहाँ की गई कार्रवाई/दिए गए आश्वासन के पश्चात
भी बार-बार जल भराव की सूचना दी गई थी

स्थान	जल भराव का होना	कारण	की गई कार्रवाई (31 जनवरी 2013 तक)	31 जनवरी 2013 के बाद जल भराव	की गई कार्रवाई (16 जुलाई 2013 तक)	16 जुलाई 2013 के बाद जल भराव
1	2	3	4	5	6	7
आश्रम चौक	6 जुलाई, 21 अगस्त व 28 अगस्त 2012	पाइप के मुँह बंद हो जाना	पाइप के मुँह साफ किए गए	5 फरवरी तथा 9 जुलाई 2013	पाइप के मुँह साफ किए गए।	22 जुलाई, 30 जुलाई व 5 अगस्त 2013
आई.टी.ओ/तिलक ब्रिज/आई.पी.फलाईओवर के नीचे	6 जुलाई व 21 अगस्त 2012	मुहाने पर धीमी निकासी, नाली का बंद होना, पंप का टूटना	पंपों की मरम्मत की गई तथा नाली साफ करके निकासी ठीक की गई	5 फरवरी तथा 9 जुलाई 2013	पंपों की मरम्मत की गई तथा नाली साफ करके निकासी ठीक की गई।	20 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई व 5 अगस्त 2013
धौला कुआं अंडरपास/फलाईओवर	27 अगस्त 2012	प्लास्टिक के कचरे के कारण निकासी का अवरोधन	वर्षा के दौरान प्लास्टिक के कचरे को तत्काल हटाया गया	—	वर्षा के दौरान प्लास्टिक के कचरे को तत्काल हटाया गया तथा वाटर पंप अधिष्ठापित किए जाने हैं।*	7 अगस्त व 20 अगस्त 2013
अरविंदो मार्ग पर अधचीनी टी पवाइंट	6 जुलाई, 21 अगस्त, 28 अगस्त व 29 अगस्त 2012	नालियों उचित रूप से नहीं थीं	नाली को रोड सं. 11 में निर्मित किया गया है	9 जुलाई 2013	नालियों का कार्य पूरा किया गया।	20 जुलाई तथा 6 अगस्त 2013
मैक्स अस्पताल से लेकर युसुफ सराय के पहले अरविंदो मार्ग के दोनों तरफ	27 अगस्त तथा 29 अगस्त 2012	निकासी प्रणाली का अनुपयुक्त होना	डिविजन कार्यालय में अनुमान प्रगति पर है	9 जुलाई 2013	डीएमआरसी द्वारा नई नालियों निर्मित की गईं।	6 अगस्त 2013
शान्ति वन चौक	6 जुलाई 2012	शान्ति वन बत्ती सिगनल पर निम्न स्थल क्षेत्र तथा पाइपों के मुँह बंद होना	स्थायी पंपिंग प्रणाली के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा पाइपों के मुँह साफ किए गए	—	स्थायी पंपिंग प्रणाली अधिष्ठापित की जा रही है तथा पाइपों के मुँह साफ किए गए।	30 जुलाई व 6 अगस्त 2013
डीसी कार्यालय एमबी रोड	28 अगस्त व 29 अगस्त 2012	अपर्याप्त निकास प्रणाली	नालियों का पुनर्निर्माण किया जाना	5 फरवरी 2013	कार्य प्रगति पर है। अल्पावधि उपाय किए गए।	7 अगस्त 2013
अणुव्रत मार्ग	28 अगस्त व 29 अगस्त 2012	नालियों उचित रूप से नहीं थीं	पुलिया का कार्य पूरा किया गया तथा कार्यात्मक है। वहाँ जल भराव की कोई संभावना नहीं है।	17 जून 2013	पुलिया का कार्य पूरा किया गया तथा कार्यात्मक है।	20 जुलाई व 7 अगस्त 2013
आर टी आर रोड	27 अगस्त व 29 अगस्त 2012	पाइप का मुँह टूट जाने के कारण	कार्य प्रगति पर है	5 फरवरी, 16 जून व 9 जुलाई 2013	कार्य प्रगति पर है।	20 जुलाई 2013
ओल्फ पालमे मार्ग	27 अगस्त 2012	अनुपयुक्त निकास प्रणाली के कारण तथा पाइप का मुँह बंद होने के कारण	फलाईओवर क्षेत्र, लो नि वि के द्वारा नए पुलिया का निर्माण प्रगति पर है	9 जुलाई 2013	जल भराव रोकने हेतु किए गए अल्पावधि उपाय।	7 अगस्त 2013

स्थान	जल भराव का होना	कारण	की गई कार्रवाई (31 जनवरी 2013 तक)	31 जनवरी 2013 के बाद जल भराव	की गई कार्रवाई (16 जुलाई 2013 तक)	16 जुलाई 2013 के बाद जल भराव
1	2	3	4	5	6	7
माँ आनंदमयी मार्ग	28 अगस्त व 29 अगस्त 2012	एक मेनहोल का टूट जाना	एक मेनहोल का निर्माण तथा नाली की मरम्मत हेतु कार्रवाई की जा रही है	5 फरवरी व 16 जून 2013	आवश्यक कार्रवाई की गई।	5 अगस्त 2013
छाता रेल	6 जुलाई, 27 अगस्त व 28 अगस्त 2012	निम्न स्थल क्षेत्र	स्थायी पंपिंग स्टेशन हेतु की जा रही कार्रवाई	5 फरवरी, 17 जून व 9 जुलाई 2013	स्थायी पंपिंग स्टेशन हेतु की जा रही। कार्रवाई	6 अगस्त 2013
धानसा स्टैंड	21 अगस्त व 6 जुलाई 2012	स्थानीय कॉलोनियों के पास सीवर सह स्ट्रोम वाटर ड्रेन को मेन रोड के एस.डब्ल्यू.डी जोड़ा गया	नजफगढ़ शहरी क्षेत्र में सड़के धाँसा रोड सहित निम्न स्थलीय हैं। स्ट्रोम वाटर की निकासी हेतु बहुत से एस डब्ल्यू डी निर्माणाधीन हैं	5 फरवरी, 17 जून व 9 जुलाई 2013	निकासी कार्य प्रगति पर है और पूर्ण होने वाला है**	20 जुलाई, 22 जुलाई व 6 अगस्त 2013
लोनी रोड/ लोनी फ्लाईओवर	7 अगस्त व 21 अगस्त 2012	52 क्यूसेक नाली गाद से भरी है (लो. निनि.वि. के पास नहीं है)	व्यक्ति कार्यरत हैं और मामले को नालियों के स्वामित्व वाले प्राधिकारियों के पास उठाया जाना था	5 फरवरी 2013 व 16 जून 2013	श्रमिक लगे हुए हैं, वहाँ जल भराव की संभावना तब तक नहीं है जब तक की नालियों का जल स्तर 52 क्यूसेक नहीं हो जाता।	20 जुलाई व 30 जुलाई 2013
मोती बाग चौक/मोती बाग फ्लाईओवर	21 अगस्त व 29 अगस्त 2012	पाइप के मुँह साफ करने की आवश्यकता है/नालियों के पाइप बंद है	पाइपों के मुँह साफ किए गए/सफाई किए जाने हैं	5 फरवरी व 17 जून 2013	पाइप बदली गई तथा श्रमिक व पंप लगे हुए थे।	20 जुलाई, 30 जुलाई व 20 अगस्त 2013
जसोला रोड	—	पाइपों के मुँह बंद हो गए	पाइपों के मुँह साफ किये गए	16 जून 2013	पाइपों के मुँह साफ किये गए।	20 जुलाई, 22 जुलाई, 30 जुलाई व 6 अगस्त 2013

*यह कहा गया कि पम्प मानसून 2013 के अनुसार अधिष्ठापित किये गये।

**पी.डब्ल्यू.सी ने आश्वासन दिया की जल भराव नहीं होगा, यद्यपि कार्य प्रगति पर था।

अनुलग्नक 2.4.7

(पैराग्राफ 2.4.5 (ख) को देखें; पृष्ठ 74)

वर्षा के दौरान रिपोर्ट किए गए क्षेत्र जहाँ जल भराव हुआ था

ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए जल भराव की तिथि	पुराने रेलवे पुल पर आई.एम.डी.द्वारा रिपोर्ट किया गया जल का स्तर (मीटर में)	आई.एम.डी. द्वारा 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई वर्षा की मात्रा (मि.मी.में)				ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए जल भराव के बिंदुओं की संख्या
		पलम	सफदरजंग	धानसा	दिल्ली रेलवे पुल	
06.07.12	202.35	34.00	40.10	9.60	62.40	73
21.08.12	203.22	1.40	28.40	10.20	7.30	70
27.08.12	204.28	37.80	43.10	18.40	11.60	23
28.08.12	204.70	29.00	59.50	5.80	8.40	41
29.08.12	204.70	19.90	14.40	4.20	0.00	33
22.07.13	204.48	9.40	1.30	0.00	1.00	17
05.08.13	203.09	0.7	11.00	0.00	0.00	13
06.08.13	203.42	38.20	13.50	24.40	6.30	27

अनुलग्नक 2.4.8
(पैराग्राफ 2.4.6 (v) को देखें: पृष्ठ 75)
चारदीवारी के निर्माण के लिए निर्माण कार्यों में किए गए विलम्ब के ब्यौरे

क्रम सं.	कार्य का नाम	सौंपा गया मूल्य (₹)	आरम्भ तथा समापन की विनिर्दिष्ट तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	समापन की प्रतिशतता सहित कार्य के पहले बंद किये जाने/अवरोधन की तिथि पर (51 प्रतिशत)	विलम्ब/पहले बंद किए जाने के कारण	विभाग के जवाब
1	नजफगढ़ नाले के बायीं ओर किनारे पर चारदीवारी का ढहाया जाना तथा पुनर्निर्माण	65.87 लाख	10.05.2012 तथा 09.11.2012	—	मार्च 2013, ₹ 47.71 लाख पर (51 प्रतिशत)	ठेकेदार ने कार्यों की पाकिंग के कारण जगह की कमी का हवाला देते हुए तथा खुले बाजार में ईंटों की गैर-उपलब्धता के कारण भी कार्य रोक दिया था।	विभाग ने जवाब दिया कि ठेकेदार को निविदाकरण से पूर्व स्थल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी।
2.	बसईदापुर ब्रिज से झार्वी का यमुना नदी में गिराए जाने वाले नजफगढ़ नाले की पुनर्निर्माण	208.31 लाख	फरवरी, 2008 तथा नवम्बर 2008	—	अक्टूबर 2010 (65 प्रतिशत) ₹ 172.85 लाख	विभाग ठेकेदार को बाधामुक्त स्थल नहीं सौंप सका था	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।
3	नजफगढ़ नाले के बायीं किनारे के साथ-साथ भूमि परिसीमा पर चारदीवारी का निर्माण	510.92 लाख	जून 2008 तथा जून 2009	—	मार्च 2010, 9 कि.मी. सीमांकन के समापन के पश्चात (45 प्रतिशत) ₹ 258.59 लाख	विभाग ने भूमि के शेष सीमांकन के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा था।	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया
4	बुराड़ी नाले के दोनों ओर ईंट की दीवार का निर्माण	100.81 लाख	अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2008.	—	53%, (₹ 53.01 लाख), 28.10.2009	कार्य को सीमांकित स्थल की गैर-उपलब्धता के कारण रोक दिया गया था तथा कार्य को समय से पहले बंद कर दिया गया।	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया
5	बवाना निकास (सात कार्य) का "पुनर्निर्माण"	चारदीवारी के सात कार्यों के लिए ₹ 401.03 लाख	छ: निर्माण कार्यों के लिए जनवरी 2003 से सितम्बर 2003 के बीच आरंभ हुआ तथा मई 2003 से अक्टूबर 2004 के बीच समापन हुआ। एक कार्य के लिए मई 2009 से अगस्त 2009	दो कार्य 2005-06 तथा एक कार्य 2009-10 में पूर्ण हुआ	2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹ 149.67 लाख की राशि के चार कार्य समय से पहले बंद कर दिए गए थे।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि विभाग के द्वारा अपूर्ण कार्यों को रद्द कर दिया गया था। ये कार्य अभी विभाजन के अन्तर्गत हैं।	


अनुलग्नक 2.4.9

(पैराग्राफ 2.4.10.2 (ख) को देखें; पृष्ठ 79)

ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए स्थान जहाँ जल भराव हुआ था परन्तु लो.नि.वि. की स्थिति रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए थे


दिनांक	स्थान
09.07.2013	अरविन्दो मार्ग, संजय 'टी' पाइंट, छाता रेल, धानसा स्टैन्ड, लॉरेंस रोड अन्डरपास, मायापुरी चौक से घुमाकर लाजवन्ती चौक की ओर वजीरपुर प्राधिकरण के सामने, पूर्वी मार्ग से राव तुला राम मार्ग तक, महिपालपुर चौक, झण्डु सिंह मार्ग, आई.एस.बी.टी., रोड न. 37, रोड न. 41, आजाद मार्किट चौक
06.08.2013	धानसा स्टैड नजफगढ़, शान्ति वन चौक, छाता रेल, हरकेश नगर, अरविन्दों मार्ग युसुफ सराय, जसौला रोड न. 13, सरिता विहार फ्लाइओवर के नीचे
07.08.2013	ओल्फ पालमे मार्ग, पश्चिमी मार्ग, एम.बी.रोड तथा सौ फुटा अणुब्रत मार्ग, डी.सी. ऑफिस एम.बी.रोड

अनुलग्नक 2.5.1
(पैराग्राफ 2.5.6; को देखें; पृष्ठ 85)



अनुलग्नक – 2.5.2
(पैराग्राफ 2.5.6; को देखें पृष्ठ 85)

विनियोग लेखे तथा वित्त लेखों की तैयारी का कार्य प्रगति चार्ट



अनुलग्नक- 2.5.3

(पैराग्राफ 2.5.7.1 (ख) (i) को देखें; पृष्ठ 87)

वे. व. ले. का. वार डीलिंग हैन्ड, स.ले.प.अ. एवं वे.व.ले.अ.
द्वारा 5 मिनट में पास हुए बिलों की स्थिति

क्र.सं.	वे. व. ले. का.	गामलों की सं;
1	वे. व. ले. का. - IV	107
2	वे. व. ले. का. - VI	468
3	वे. व. ले. का. - IX	1564
4	वे. व. ले. का. - XV	621
5	वे. व. ले. का. - XXIII	314
	कुल	3074

अनुलग्नक-2.5.4

(पैराग्राफ 2.5.7.1 (ख) (i) को देखें पृष्ठ 87)

31 मार्च 2013 तक वे.व.ले.का. वार बकाया चैकों की
स्थिति जिसमें डम्मी चैक नम्बर शामिल है

क्र.सं.	वे.व.ले.का.	डम्मी चैक सं. सहित चैको की संख्या	राशि
1.	वे. व. ले. का. - IV	127	1.77
2.	वे. व. ले. का. - XXIII	101	3.43
	कुल	228	5.20

अनुलग्नक- 2.5.5
(पैराग्राफ 2.5.8.2 को देखें; पृष्ठ 96)
लेखा शीर्षों की बुकिंग में विपथन/विषमता की सूची

क्र. सं.	बिल सं.	दिनांक	टोकन सं.	डी.वी. सं.	राशि	आ.व स.अ. के अनुसार शीर्ष	संरवीकृति आदेश के अनुसार शीर्ष	पीएओ द्वारा एम.एस.एवसेल में बुकड शीर्ष
	वे.व ले.का.- XV					(आ. व स.अ कोड सं.: 032768)		
1	सीबी/468	23.02.13	27988	23933	177913	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का. व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का.व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - एन पी स्पोर्ट्स की उन्नति
2	सीबी/486	07.03.13	27987	23932	122188	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का. व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का.व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - एन पी स्पोर्ट्स की उन्नति
3	सीबी/485 क	07.03.13	29161	25020	126784	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का. व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - स्पोर्ट्स व गेम्स की उन्नति की गतिविधियों - का. व्यय	2202 ए 2(3)(2)(4) - एन पी स्पोर्ट्स की उन्नति
	वे.व.ले.का. - XXIII					(आ. व स.अ कोड सं.: 032385)		
4	394	उ.न	उ.न	उ.न	4532	2012 ए 1(2)(8)(1) (9) - ए एस एफ-मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना	2012 ए 1(2)(8)(1) (9) - ए एस एफ-मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना	2012 ए 1(2)(8)(1) (9) - ए एस एफ-मेडिकल ट्रीटमेन्ट योजना

अनुलग्नक 3.1.1
(पैराग्राफ 3.1.1 को देखें; पृष्ठ 99)
31 मार्च 2013 को विभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थिति

सहकारी सोसाइटी का प्रकार	पंजीकृत	क्रियाशील	अक्रियाशील	निष्क्रिय	परिसमाप्त	परिसमाप्ति की प्रक्रिया में	अन्य असक्रिय
थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट	1294	1135	21	49	62	15	12
उपभोक्ता केन्द्र	568	335	46	27	131	5	24
समूह आवास	1972	1250	207	206	89	66	154
आवास भवन	133	105	6	9	5	1	7
औद्योगिक	1191	785	93	162	100	4	47
परिसंघ	24	23	0	0	1	0	0
बैंक	19	16	0	0	2	1	0
नई बहुदेशीय	175	82	19	23	45	1	5
पैकेज	182	91	24	23	42	1	1
कुल	5558	3822	416	499	477	94	250

31 मार्च को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत तथा
क्रियाशील कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों की स्थिति

वर्ष	कुल पंजीकृत	क्रियाशील	गैर-क्रियाशील/पुरानी/समाप्त हो गई/अन्य
31 मार्च 2011 तक	5487	3751	1736
31 मार्च 2012 तक	5515	3779	1736
31 मार्च 2013 तक	5558	3822	1736

अनुलग्नक 3.3.1

(पैराग्राफ: 3.3 को देखें, पृष्ठ 112)

दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ की अधिक अदायगी और वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम/जल शोधन संयंत्र के अधीष्ठापन पर किया गया व्यय

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	स्थापना की तिथि	स्थापना पर खर्च (₹ करोड़ में)	अधिक अदायगी की अवधि	अधिक अदायगी की राशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1	याचा नेहरू बाल चिकित्सालय	जून, 2005	0.01	12.05.10 से 14.02.2013	10.27	अस्पताल, लोक निर्माण विभाग को अपेक्षित कार्य करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब इस विषय को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के स्तर पर भी उठाया जा रहा है।
2	डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान	2008-09	0.07	06.05.2010 से 31.03.2013	6.72	फरवरी 2013 से पानी के बिलों में 10 प्रतिशत की छूट ली जा रही है और पाँच प्रतिशत अतिरिक्त छूट के विषय को दिल्ली जल बोर्ड से उठाया गया है।
3	गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल	04.10.2011	0.71	08.03.2011 से 27.02.2013	13.61	पानी के बिलों में 15 प्रतिशत छूट लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से बात की जा रही है।
4	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	2010, 31.07.2013 30.09.2013	0.25	08.04.2010 से 07.03.2013	379.33	पानी के बिलों में 15 प्रतिशत छूट लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से बात की जा रही है।
5	लोक नायक अस्पताल	15.09.2008 10.03.2010	1.13	14.04.2010 से 09.04.2013	280.06	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अस्पताल ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मामला उठाया और यह सहमति बनी कि पानी के बिलों में 15 प्रतिशत की दर से छूट दी जाएगी।
6	महर्षि बाल्मिकी अस्पताल	डाटा उपलब्ध नहीं	0.07	06.05.2010 से 15.03.2013	20.05	पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत छूट का मामला दिल्ली जल बोर्ड के सामने उठाया गया। दिल्ली जल बोर्ड से उत्तर प्रतीक्षित था।
7	सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जनकपुरी	05.03.2007	0.37	27.05.2010 से 20.03.2013	18.00	रेनवाटर हारवेस्टिंग की पर्याप्त रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 15 प्रतिशत की दर से छूट देने का आश्वासन दिया गया। साथ-साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।
कुल			2.61		728.04 या ₹ 7.28 करोड़	

अनुलग्नक 3.10.1
(पैराग्राफ 3.10.1 को देखें, पृष्ठ 131)
सूचना तथा अभिलेखों का गैर प्रस्तुतिकरण (21 फरवरी 2014 तक)

शहरी विकास विभाग (रा.रा.रा.क्षे.दि.स.)			
क्र.सं.	मीमो नं.	तिथि	रिकार्ड जो मॉंगा गया
1	24	10.5.2013	डीएसएसडीआई को नियुक्त करने से संबंधित फाइल और अन्य सम्बद्ध रिकार्ड
2	31 और 44	27.5.2013 और 14.06.2013	ले-आउट प्लान्स जिसमें लोकल बाड़ी की टिप्पणियां, अनिर्णित ले-आउट प्लान्स का ब्यौरा। ले-आउट प्लान्स की संख्या जो लोकल बाड़ीज को रा. रा.क्षे.दि.स. द्वारा सीमा निर्धारण के बाद स्वीकृति के लिए भेजी गई पर अब तक लोकल बाड़ीज को वापिस प्राप्त नहीं हुई।
3	61	01.8.2013	फाइलें जिनका रजिस्ट्रेशन नं. 1565, 1276 सी, 1470, 368, 643, 17-एलओ. पी., 77-ई.एल.डी., 59-ई.एल.डी. और 1222 (कुल नौनौ फाइल)।
4	8 (पूरक लेखापरीक्षा)	03.01.2014	भूमि स्टेटस रिपोर्टों से संबंधित रिकार्ड
5	10 (पूरक लेखापरीक्षा)	13.02.2014	वन भूमि पर बसी कालोनियों से संबंधित रिकार्ड और इन कालोनियों में किए गए विकास कार्यों पर किया गया खर्च
6	12 (पूरक लेखापरीक्षा)	18.02.2014	राजस्व विभाग के साथ हुई मीटिंग, आर.टी.आई. और शिकायतों से संबंधित रिकार्ड
7	13 (पूरक लेखापरीक्षा)	21.02.2014	अनाधिकृत कालोनी जिसका पंजीकरण नं. 53 (साद नगर, दिल्ली) से संबंधित रिकार्ड
दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई.एन.ए., नई दिल्ली			
1	डीडीए/यू.सी./3	18.09.2013	91 कालोनियों की भूमि स्टेटस रिपोर्ट के बारे में

अनुलग्नक 3.10.2

(पैराग्राफ 3.10.2 को देखें, पृष्ठ 131)

यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) और श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन्स (अक्टूबर 2007) की तुलना

यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007)	श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन्स 2007 (अक्टूबर 2007)	दोनों गाइडलाइन्स के बीच अंतर
<p>पैरा 1.5: प्रत्येक कालोनी में नियमन प्रक्रिया से संबंधित समन्वय, ले-आउट की तैयारी व सेवा योजनाएं, विकास कार्यों के निष्पादन तथा विभिन्न मामलों के संबंध में संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के साथ संपर्क के लिए एक पंजीकृत आवासीय सहकारी समिति (अब से आवासीय समिति कही गई) की स्थापना करने को आवश्यक किया जाएगा।</p>	<p>पैरा 3.1: प्रत्येक अनधिकृत कालोनी में विभिन्न मामलों में संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे.दिस. के साथ संपर्क करने हेतु पंजीकृत आवासीय समिति की पूर्व शर्त नियमन के मामले पर विचार करने की होगी।</p>	<p>1) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार सहकारी समिति, कालोनी का प्रतिनिधित्व निकाय मानी जाएगी। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन्स 2007 (अक्टूबर 2008) के अनुसार आवासीय समिति, कालोनी का प्रतिनिधित्व निकाय होगी।</p>
<p>पैरा 2.1 (क) : अनधिकृत कालोनी का बेस मैप स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा आवासीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जो योजना की बाउण्ड्री नियत करेगा तथा आर्किटेक्ट/टाऊन प्लानर से कालोनी की ले-आउट योजना भी तैयार करेगा। अवसरवनात्मक सेवाओं/सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता को स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के साथ परामर्श में निर्धारित किया जाएगा। आवासीय समिति तब कालोनी की अनुमोदित सेवा योजना के अनुसार सेवाओं के विकास कार्यों को अपने अधिकार में तो लेगी तथा उसके पूरा हो जाने पर संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को नियमन के लिए आवेदित करेगा।</p>	<p>पैरा 4.2 (क) केवल उन कालोनियों की बाउण्ड्रीयों जो इन गाइडलाइन्स के अंतर्गत नियमन के लिए पात्र हैं, का निर्धारण तथा पहचान रा.रा.क्षे.दिस. द्वारा किया जाना आवश्यक है। (ख) आवासीय समिति कालोनी की ले-आउट योजना प्राप्त करेगी जैसा कि पैरा 1.5 में उल्लिखित था 1:1000 स्केल पर एक माह के समय के भीतर पंजीकृत आर्किटेक्ट/टाऊन प्लानर से तैयार की गई, जो इन गाइडलाइन्स के साथ जुड़ी मानक/यूनिकोड में जॉच-बूची पर आधारित था। ले-आउट योजना की प्रति भी आवासीय समिति द्वारा रा.रा.क्षे.दिस. को उसी समय भेज दी जाएगी। (ग) स्थानीय निकाय अथवा दि.वि.प्रा. जैसा भी मामला हो उपरोक्त पैरा (ख) में निर्धारित समय से दो माह के भीतर इन गाइडलाइन्स में शामिल सामान्य सिद्धांतों के आधार पर ले-आउट योजना की संविक्षा को पूरा करेगा। (घ) उपरोक्त पैरा (ख) में निर्धारित ले-आउट योजना के प्रस्तुति की अंतिम तिथि से तीन माह के अंदर प्रत्येक विहित कालोनी की बाउण्ड्री को रा.रा.क्षे.दिस. अंतिम रूप देगा। रा.रा.क्षे.दिस. 31.03.2002 को उपलब्ध संबंधित क्षेत्रों के सैटेलाइट/एरियल सर्वे इमेज को कालोनियों की बाउण्ड्री निर्मित करने के लिए उपयोग करेगा। संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान की संविक्षा करने के बाद रा.रा.क्षे.दिस. द्वारा बाउण्ड्रीयों निर्मित की गई थी। रा.रा.क्षे.दिस. द्वारा ले-आउट</p>	<p>1) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के पैरा 2.1(क) पैरा 3.2 को हटा दिया गया है तथा इसकी बजाए श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन्स (अक्टूबर 2007) में पैरा 4.2 को जोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप दो गाइडलाइन्स में निम्नलिखित अंतर हैं: 2) यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार अप्राधिकृत कालोनी का बेस मैप दि.वि.प्रा./स्वा.नि. द्वारा आवासीय समिति को उपलब्ध कराया जाना था। जिसे योजना पर चारदीवारी पर लगाया जाना था तथा कालोनी की ले-आउट योजना को पंजीकृत वास्तुलिपि/शहरी योजनाकर्ता को तैयार करना पड़ता है। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाइन्स 2007 के अनुसार आवासीय समिति पंजीकृत वास्तुलिपिक/शहरी योजनाकर्ता से बनावाये गये कालोनी ले-आउट लिया जाता है। आवासीय समिति द्वारा ले-आउट योजना को सम्बंधित स्वायत्त निकाय/दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसकी एक प्रति रा.रा.क्षे.दिस. को भी भेजी जाती है। 3) संघीय पॉलिप्रिबिड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा. द्वारा नियमितकरण किया जाएगा। श.वि.मं. (अक्टूबर</p>

<p>पैरा 3.2: कालोनी को केवल समिति द्वारा अनुमोदित सेवा योजना के अनुसार अवसंरचनात्मक कार्यों के निष्पादन के पश्चात् नियमित घोषित किया जाएगा।</p>	<p>प्लान संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को अग्रोषित की जानी थी ताकि कालोनी के ले-आउट प्लान की सक्षम प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन लिया जा सके।</p> <p>रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बाउण्ड्री के निर्माण किए जाने के बाद ले-आउट प्लान की प्राप्ति के एक महीने के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान को अनुमोदित कराया जाना चाहिए। उसके बाद स्थानीय निकाय को प्रत्येक कालोनी के नियमितकरण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मामला स्थानीय निकाय को सौंपा जाना चाहिए।</p> <p>उसी समय स्थानीय निकाय भी प्रत्येक कालोनी की संशोधित ले-आउट प्लान की भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु दि.वि.प्रा. को भेजेगा।</p> <p>एक बार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद, संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन हेतु भुगतान किए जाने के बाद कालोनी को नियमितकरण के विचारार्थ समर्थ होना चाहिए।</p> <p>नियमितकरण के औपचारिक आदेश दि.वि.प्रा. द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद भूमि उपयोग प्रभावी होने तथा आवश्यक भुगतान सुनिश्चित होने के बाद रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी किए जाएंगे।</p> <p>रा.रा.क्षे.दि.स. की कालोनी के नियमन के भूमि के उपयोग किए जाने में बदलाव को छोड़कर समूची प्रक्रिया को छः महीने के अन्दर तथा भूमि में प्रभावी बदलाव किए जाने के पश्चात् औपचारिक नियमन को नौ महीने के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए था। कुछ कालोनियों के संबंध में उपरोक्त निर्धारित की गई सीमावधि में यदि छूट की आवश्यकता हो तो, रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष निवेदन पर उपराज्यपाल दिल्ली समयावधि में छूट दे सकता है।</p>	<p>2007), द्वारा अनुमोदित संशोधित दिशानिर्देशों 2007 के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा नियमितकरण किया जाएगा।</p> <p>4) संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार (2004 तथा फरवरी 2007), आवासीय सोसाइटी द्वारा बाउण्ड्री निर्मित की जानी थी। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित दिशानिर्देश 2007 के सुधार रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बाउण्ड्री निर्मित कराया जाना था।</p> <p>5) यूनियन कौन्सिल द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स (2004 तथा फरवरी 2007) के अनुसार औपचारिक नियमन को केवल स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा. द्वारा अवसंरचनात्मक निर्माण कार्यों के निष्पादन के पश्चात् ही जारी किया जाना चाहिए था। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाइन्स 2007 के अनुसार, नियमन के औपचारिक आदेश को रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा भूमि के उपयोग में बदलाव के पश्चात् जारी किया जा सका था।</p>
<p>पैरा 3.1: विकास कार्य के निष्पादन को केवल सम्बन्धित एजेंसियों तथा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. के ले-आउट प्लान सहित प्रक्रिया शुल्क इत्यादि की प्रस्तुति द्वारा सर्विस प्लान के अनुमोदन के पश्चात् ही आरंभ किया जा।</p>	<p>पैरा 5.4: जैसाकि पैरा 4.2 (ख) में उल्लिखित है रा.रा.क्षे.दि.स. कालोनियों/कालोनियों के हिस्सों में जन-हित में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास निर्माण कार्यों तथा वृद्धि का आरंभ ले-आउट योजना की प्राप्ति के पश्चात् ही कर सकती है यदि वे संतुष्ट हों कि इन कालोनियों अथवा इनके हिस्से गाइडलाइन्स में दिए गए सामान्य नियमों का पालन कर रहे हैं।</p>	<p>संघ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन्स के पैरा 3.1 को हटा दिया गया (2004 तथा फरवरी 2007) था तथा श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाइन्स 2007 में इसके स्थान पर पैरा 5.4 को सम्मिलित कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप दो गाइडलाइन्स में निम्नलिखित अन्तर पाए गए:</p> <p>6) संघ मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (2004 तथा फरवरी 2007) गाइडलाइन्स के अनुसार विकास कार्य को केवल सर्विस प्लान के अनुमोदन से संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. की प्रक्रिया शुल्क सहित ले-आउट योजना की प्रस्तुति के पश्चात् आरंभ किया जा सकता था। श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित (अक्टूबर 2007) संशोधित गाइडलाइन्स 2007 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. विकास कार्य तथा अवसंरचना की वृद्धि को ले-आउट योजनाओं की प्राप्ति के पश्चात् आरंभ कर सकता, यदि वह संतुष्ट होते कि, कालोनियों अथवा उनके हिस्से गाइडलाइन्स में सामान्य प्रावधानों का पालन कर रहे हैं।</p>

अनुलग्नक- 3.10.3
कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए विकास कार्यों की प्रत्यक्ष स्थिति
(पैराग्राफ 3.10.6 को देखें, पृष्ठ 138)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	895 में से आबंटित हुई कालोनियां	कालोनियों की संख्या जहाँ पर कार्य पूरा हो चुका	कालोनियों की प्रतिशतता जहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ
1	डीएसआईआईडीसी	403	261	35.24
2	सि. एवं बा. नि.	272	111	59.19
3	दक्षिणी डीएमसी	85	18	78.82
4	उत्तरी डीएमसी	4	4	0
5	लो.नि.वि.	127	81	71.65
	कुल	891	475	46.68
6	दि.ज.बो.			
	i) जल आपूर्ति	895	698	28.22
	ii) सीवर लाईन	सभी सीवर रहित	98	89.05